<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डीग जिला डीग</u>

पीठासीन अधिकारी : सरोज मीना, आर.जे.एस.(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध आपराधिक प्रकरण संख्या : 155 सन् 2026

सी.आई.एस. संख्या : 258 सन् 2026

सी.एन.आर. नं. : RJDE010011732026

रॉबिन उर्फ बूढी पुत्र उमर उम्र 24 साल निवासी इस्लामाबाद मौहल्ला, उठावड थाना उठावड जिला पलवल, हरियाणा।

——प्रार्थी/अभियुक्त

<u>ब ना म</u>

राजस्थान राज्य, जरिए अपर लोक अभियोजक, डीग। ———अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र जमानत अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बमुकद्मा एफ.आई.आर. सं. 85/24 पुलिस थाना जनूथर अपराध धारा 121(1), 132, 109(1), 111(2)(बी), भारतीय न्याय संहिता धारा 3, 5, 25, 25(6), आयुध अधिनियम व धारा 5, 6, 8, 9, 10 आरबीए एक्ट।

<u>उपस्थित :</u>

1- श्री सुनीलदत्त शुक्ला, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त।

2- अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

<u>आ दे श</u>

<u>दिनांक : 08.06.2026</u>

1— यह जमानत आवेदन प्रार्थी/अभियुक्त रॉबिन उर्फ बूढी को पुलिस थाना जनूथर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—85/2024 अपराध अंतर्गत धारा 121(1), 132, 109(1), 111(2)(बी), भारतीय न्याय संहिता धारा 3, 5, 25, 25(6), आयुध अधिनियम व धारा 5, 6, 8, 9, 10 आरबीए एक्ट के अधीन गिरफ्तार कर पेश किया गया जो माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भरतपुर द्वारा इस न्यायालय को अन्तरित किये जाने के उपरांत अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग द्वारा दिनांक 13.05.2026 को खारिज किए जाने से व्यथित होकर जमानत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई एवं केस डायरी तलब की जाकर बहस जमानत आवेदन सुनी गई।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि देवीसिंह एचसी 775 थाना जनूथर मय जाप्ते के दिनांक 23.07.2024 को समय 11.36 पीएम पर कस्बा जनूथर व ईलाका थाना रवाना होकर जनूथर नदबई रोड पर समय 2.48 ए एम पर सूचना मिलने पर एक पिकअप को उसका चालक तेज गति से लेकर आया गाडी में बैठे व्यक्तियों ने पुलिस पार्टी को देखकर जान से मारने की नीयत से कटटे से फायर किया व पत्थर बाजी की जिसके जबाव में एचसी द्वारा 9 एमएम पिस्टल से तीन राउण्ड फायर किये तथा उन्हें पकडने का हरसंभव प्रयास किया किन्तु पिकअप गाडी चालक उक्त पिकअप को थैरावर गांव के किसी रास्ते पर ले जाकर आंखो के सामने से ओझल हो गये। उक्त पिकअप की नाकाबंदी कराई गई। उक्त पिकअप गाडी की तलाश करते हुए घटनास्थल थाने के पास कस्बा जनूथर का बारीकी से निरीक्षण किया गया तो मन्दिर हनुमान जी अमरी के मकान के सामने एक खाली खोखा कारतूस 315 बोर का सडक के किनारे मिटटी में पडा हुआ मिला । स्वतंत्र गवाह न मिलने पर हमराही जाप्ता में से कानि विक्रमसिंह व घनश्याम को मौतबिर रखकर उक्त खाली खोखा कारतूस को बतौर वजह सबूत जब्त कर शील्ड मौहर किया तथा जवाब कार्यवाही में किये गये तीन फायर में से एक खाली खोखा 9 एमएम पिस्टल का सडक के किनारे मिटटी में पड़ा हुआ मिला । जिसे जब्त कर शील्ड मौहर किया गया। तत्पश्चात समय 11.40 एएम पर ग्रामवासी श्योरावली के द्वारा सूचना मिलने पर दो गाय आम रास्ता श्योरावली श्मसान घाट के पास व एक गाय ग्राम सहारई में घायल अवस्था में मिली । उक्त गायों को जरिये फर्द जब्त किया जाकर पुलिस संरक्षण में लिया गया तथा घायल गायों के ईलाज व मेडीकल मुआयना हेतु तहरीर पेश की जाकर इलाज/मेडिकल मुआयना चोट कराया गया। बहताने से श्योरावली आने वाले रास्ता डीग तिराये पर ग्राम सहारई में एक गाय रंग सफेद घायल अवस्था में मिली। जिसका इलाजध्मेडिकल मुआयना किया गया। मौजा सहारई से रवाना होकर तलाश मुल्जिमान व वक्त घटना उपयोग में लिया गया वाहन के तलाश पश्चात थाने पर आकर पिकअप गाडी के चालक व उसमें सवार अन्य साथियों के द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने के नियत से फायर करने व राजकार्य में बाधा पहुंचाने व पिकअप गाडी में गौवंश को गौकशी के लिये तस्करी कर क्रूरतापूर्वक परिवहन करने बावत रिपोर्ट दर्ज कराई इत्यादि, जिस पर पुलिस थाना जनूथर पर मु.सं. 85/2024, अपराध धारा 121(1), 132, 109(1), 111 (2) (बी) बीएनएस व 3/25(6), एवं आयुध अधिनियम एक्ट व धारा 5, 6, 8, 9, 10

आरबीए एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त दिलशाद के विरुद्ध धारा 121(1), 132, 109(1), 111(2) (बी) बीएनएस एवं 3/25(6), 5/25 आर्म्स एक्ट व धारा 5, 6, 8, 9, 10 आरबीए एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्त को दिनांक 18.02.2026 को गिरफ्तार किया गया।

3— विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष हैं, जिन्हें झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का आरोपित अपराध से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न ही उसके विरूद्ध आरोपित अपराध से संबंधित कोई सारभूत साक्ष्य अभिलेख पर है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 18.02.2026 से अभिरक्षा में हैं, जिससे कोई बरामदगी अनुसंधान शेष नहीं है। प्रकरण अभी अनुसंधान की स्टेज पर है, जिसके अनुसंधान व विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

4— इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 121(1), 132, 109(1), 111(2) (बी) बीएनएस एवं 3/25(6), 5/25 आर्म्स एक्ट व धारा 5, 6, 8, 9, 10 आरबीए एक्ट के गम्भीर अपराध के आरोप प्रमाणित पाये जाने से जमानत आवेदन खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5— उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया एवं केस डायरी व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया गया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त रॉबिन उर्फ बूढी के विरूद्ध वर्तमान के अतिरिक्त निम्न आपराधिक प्रकरण दर्ज/लम्बित हैं :—

क्र.सं.	मुकदमा नम्बर	धारा	पुलिस थाना
1.	26/19	379 भा.दं.सं.	रामपुरा, रेवाडी
2.	106/24	25(9), 25(1—बी) (बी), बीएनएस,	उटावड
3	40/25	109(1),341(2), 3(5) बीएनएस, 3,5,8 आरबीए एक्ट	कैथवाडा
4	186/24	307, 34, 353, 186, 411 भा.दं.सं. व धारा 25/54/59 ए एक्ट	पलवल
5	485/24	103(1), 109(1) 121(1), 132, 282 बीएनएस, 3/25(6), आयुध अधिनियम, 5/8 आरबीए एक्ट	कुम्हेर
6	44/25	121(1), 132 बीएनएस व धारा 5/25 आयुध अधिनियम	कामां

केस डायरी के अवलोकन से प्रकट है कि अभियुक्त के विरूद्ध आज दिवस तक सम्पादित अनुसंधान में पुलिस पार्टी पर जान लेवा हमला करने, प्रतिबंधित पशुओ

का परिवहन करने एवं आयुध अधिनियम के संबंध में धारा 121(1), 132, 109(1), 111(2) (बी) बीएनएस एवं 3/25(6), 5/25 आर्म्स एक्ट व धारा 5, 6, 8, 9, 10 आरबीए एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया है।

6— दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रकरण में सहअभियुक्त जमशेद की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा **S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 861/2021** खेतसिंह बगैराह बनाम राज. राज्य आदेश दिनांक 25.01.2021 में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर जमानत का लाभ दिया जावे।

7— उपरोक्त माननीय न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार जब तक अपवादिक या विभोदकारी परिस्थिति नहीं हो, तब तक समान रूप से अवस्थित अभियुक्तगण में से किसी की भी जमानत यदि उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है तो अन्य समान रूप से अवस्थित अभियुक्त को सेशन न्यायालय द्वारा भी जमानत सुविधा प्रदान की जाना अपेक्षित हो जाता है।

8— माननीय न्यायिक दृष्टांत **खेतसिंह बनाम राजस्थान राज्य** के निर्णय के सन्दर्भ में उदाहरण स्वरूप कुछ विभोदकारी अथवा अपवादित परिस्थितियों के सन्दर्भ में माननीय न्यायिक दृष्टांत **श्रीभान बनाम राजस्थान राज्य 2023(3) आर.एल.डब्ल्यू. 1809** में निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :—

> ''अभियुक्तगण जिनके द्वारा अनुसंधान के दौरान अनुपस्थित रहते हुए अथवा पलायन करते हुए असहयोग किया गया है, लम्बे समय बाद अथक प्रयासों से गिरफ्तार हुए हैं तथा जिनकी अभिरक्षा की अवधि भी तुलनात्मक रूप से कम है, उनका मामला उन अभियुक्तगण के समान अथवा समतुल्य नहीं माना जा सकता, जिनके द्वारा अनुसंधान/न्यायिक कार्यवाही में सहयोग किया गया है तथा प्रारम्भिक अवस्था में ही गिरफ्तार हो चुके हैं और सारवान अवधि से अभिरक्षा में हैं। पूर्ववर्ती श्रेणी के अभियुक्तगण के विलम्बकारी आचरण से अनुसंधान निश्चित समयावधि में पूर्ण नहीं हो पाता है, सुसंगत साक्ष्य तथा सामग्री भी उपलब्ध नहीं हो पाती है तथा अनुसंधान विपरीत रूप से प्रभावित होता है और विचारण के मामले भी विलम्ब होने पर विचारण विपरीत रूप से प्रभावित होता है, ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध आरोप भले ही पश्चात्वर्ती श्रेणी के अभियुक्तगण के समान हो, परन्तु उपरोक्त परिस्थितियॉ उचित

मामलों में अपवादिक व विभोदकारी परिस्थितियॉ मानी जा सकती हैं और पूर्ववर्ती श्रेणी के अभियुक्त खेतसिंह बनाम राजस्थान राज्य में उपरोक्त न्यायिक निर्णय के अनुक्रम में समानता के आधार पर जमानत का दावा अधिकार स्वरूप नहीं कर सकते।''

9— उपरोक्त माननीय न्यायिक दृष्टांत के अभिमत की रोशनी में केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व 6 अन्य प्रकरण संस्थित होने का रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध है। यह तथ्य अभियुक्त की आपराधिक प्रवृति की निरन्तरता एवं पुनरावृति को इंगित करता है। प्रकरण गौवंश को गौकसी के लिए तस्करी करने से संबंधित है।

10— ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त का मामला अन्य सहअभियुक्तगण के समतुल्य प्रकृति का होना प्रकट नहीं होता है तथा उक्त माननीय न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्तों का लाभ प्रार्थी/अभियुक्त प्राप्त करने का हकदार नहीं है। वर्तमान में इस प्रकार की बढती घटनाओं को देखते हुए एवं अपराधों की गंभीरता एवं प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुऐ मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त **रॉबिन उर्फ बूढी** को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आ दे श

11— फलस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त रॉबिन उर्फ बूढी पुत्र उमर उम्र 24 साल निवासी इस्लामाबाद मौहल्ला, उठावड थाना उठावड जिला पलवल, हरियाणा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

(सरोज मीना)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
डीग जिला डीग

12— आदेश आज दिनांक 08.06.2026 को लिखाया, हस्ताक्षरित किया व सरे इजलास सुनाया गया।

(सरोज मीना)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
डीग जिला डीग